भारत सरकार और मलेशिया सरकार
के बीच
हवाई सेवा समझौता

(जिन्हें आगे "पक्षकार" कहा गया है)

7 दिसंबर 1944 को शिकागो में हस्ताक्षरित अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के पक्षकार होते हुए;

अपने-अपने राज्यक्षेत्रों के बीच अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं को बढ़ावा देने की इच्छा रखते हुए;

एयरलाइनों के बीच प्रतिस्पर्धा पर आधारित अंतरराष्ट्रीय विमानन प्रणाली को बढ़ावा देने की इच्छा रखते हुए;

अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं में उच्चतम स्तर की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने की इच्छा रखते हुए तथा नागर विमानन की सुरक्षा के विरुद्ध ऐसे कृत्यों या खतरों के संबंध में अपनी चिंता की पुनः पुष्टि करते हुए, जो व्यक्तियों या संपत्ति की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, हवाई सेवाओं के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और नागर विमानन की सुरक्षा में जनविश्वास को कमजोर करते हैं;

निम्नलिखित पर सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद 1
परिभाषाएँ

इस समझौते के प्रयोजनों के लिए, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ होगा:

1. "हवाई परिवहन" से यात्रियों, सामान, माल और डाक का, अलग-अलग या संयुक्त रूप से, पारिश्रमिक या भाड़े के लिए, विमान द्वारा सार्वजनिक परिवहन अभिप्रेत है।
2. "वैमानिक प्राधिकरण" से भारत के मामले में नागर विमानन महानिदेशक तथा मलेशिया के मामले में परिवहन मंत्री, अथवा दोनों मामलों में कोई अन्य प्राधिकरण या व्यक्ति, जिसे उक्त प्राधिकरणों द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कार्यों को करने के लिए अधिकृत किया गया हो, अभिप्रेत है।
3. "समझौता" से यह समझौता, इसका अनुलग्नक तथा इसमें किए गए कोई भी संशोधन अभिप्रेत हैं।
4. "हवाई सेवा", "अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा", "एयरलाइन" और "गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए ठहराव" का वही अर्थ होगा जो अभिसमय के अनुच्छेद 96 में उन्हें दिया गया है।
5. "क्षमता" से इस समझौते के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं की मात्रा अभिप्रेत है, जिसे सामान्यतः किसी बाजार या मार्ग पर किसी विशिष्ट अवधि, जैसे दैनिक, साप्ताहिक, मौसमी या वार्षिक अवधि में उड़ानों (आवृत्तियों), सीटों या उपलब्ध कराए गए माल के टन की संख्या में मापा जाता है।
6. "अभिसमय" से 7 दिसंबर 1944 को शिकागो में हस्ताक्षरित अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय अभिप्रेत है, जिसमें उसके अनुच्छेद 94(क) के अधीन लागू और दोनों पक्षकारों द्वारा अनुसमर्थित कोई संशोधन तथा अभिसमय के अनुच्छेद 90 के अधीन अपनाया गया कोई अनुलग्नक या उसका संशोधन भी शामिल है, जहां तक ऐसे अनुलग्नक या संशोधन किसी समय दोनों पक्षकारों के लिए प्रभावी हों।

7. “नामित एयरलाइन” से ऐसी एयरलाइन अभिप्रेत है जिसे इस समझौते के अनुच्छेद 3 (एयरलाइनों का नामांकन और प्राधिकरण) के अनुसार नामित और अधिकृत किया गया हो।
8. “अंतरमॉडल हवाई परिवहन” से यात्रियों और माल का, अलग-अलग या संयुक्त रूप से, पारिश्रमिक या भाड़े के लिए, विमान द्वारा तथा परिवहन के एक या अधिक स्थलीय साधनों द्वारा परिवहन अभिप्रेत है।
9. “टैरिफ” से यात्रियों (और उनके सामान) और/या माल (डाक परिवहन को छोड़कर) के वहन के लिए एयरलाइनों द्वारा, जिसमें उनके एजेंट भी शामिल हैं, लिया जाने वाला कोई किराया, दर या शुल्क तथा ऐसे किराए, दर या शुल्क की उपलब्धता को नियंत्रित करने वाली शर्तें अभिप्रेत हैं।
10. “राज्यक्षेत्र” का वही अर्थ होगा जो अभिसमय के अनुच्छेद 2 में उसे दिया गया है।
11. “उपयोगकर्ता शुल्क” से सक्षम प्रभार लगाने वाले प्राधिकरणों द्वारा एयरलाइनों पर लगाया गया, अथवा उनके द्वारा लगाए जाने की अनुमति दी गई, ऐसा शुल्क अभिप्रेत है जो हवाई अड्डे की संपत्ति, वायु-दिक्चालन तथा विमानन सुरक्षा सुविधाओं या सेवाओं, जिनमें संबंधित सेवाएं और सुविधाएं भी शामिल हैं, विमान, उसके चालक-दल, यात्रियों, सामान और माल के लिए उपलब्ध कराने के संबंध में हो।

अनुच्छेद 2
अधिकार प्रदान करना

1. प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार को इस समझौते में विनिर्दिष्ट अधिकार प्रदान करता है, ताकि इस समझौते के अनुलग्नक के उपयुक्त भाग में विनिर्दिष्ट मार्गों पर अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाएं स्थापित की जा सकें। ऐसी सेवाओं और मार्गों को क्रमशः “सहमत सेवाएं” और “विनिर्दिष्ट मार्ग” कहा जाएगा।
2. इस समझौते के उपबंधों के अधीन, प्रत्येक पक्षकार द्वारा नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे:

   (क) दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र के ऊपर बिना उतरे उड़ान भरने का;

   (ख) गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में ठहराव करने का;

   (ग) सहमत सेवाओं का संचालन करते समय, इस समझौते के अनुलग्नक में उस मार्ग के लिए विनिर्दिष्ट बिंदुओं पर, प्रत्येक पक्षकार द्वारा नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में यात्रियों और माल, जिसमें डाक भी शामिल है, को उतारने और चढ़ाने तथा पक्षकारों के बीच सहमति होने पर मध्यवर्ती और उससे आगे के बिंदुओं से/तक अंतरराष्ट्रीय यातायात को अलग-अलग या संयुक्त रूप से वहन करने का अधिकार होगा।
3. प्रत्येक पक्षकार की एयरलाइन(एयरलाइनों), अनुच्छेद 3 के अधीन नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) के अतिरिक्त, को भी इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) के खंड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट अधिकार प्राप्त होंगे।
4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) की किसी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि वह एक पक्षकार की नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) को दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में किसी अन्य बिंदु के लिए नियत यात्रियों और माल, जिसमें डाक भी शामिल है, को उस दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में चढ़ाने का विशेषाधिकार प्रदान करती है।

5. यदि विशेष और असामान्य परिस्थितियों के कारण किसी पक्षकार की नामित एयरलाइन अपने सामान्य मार्ग पर सेवा संचालित करने में असमर्थ हो, तो दूसरा पक्षकार ऐसी सेवा के निरंतर संचालन को सुगम बनाने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास करेगा, जिसमें पक्षकारों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत उपयुक्त अस्थायी मार्ग-व्यवस्था भी शामिल है।

6. एक पक्षकार की नामित एयरलाइनों को दूसरे पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराए गए वायुमार्गों, हवाई अड्डों और अन्य सुविधाओं का गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर उपयोग करने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 3
एयरलाइनों का नामांकन और प्राधिकरण

1. प्रत्येक पक्षकार को सहमत सेवाओं को विनिर्दिष्ट मार्गों पर संचालित करने के उद्देश्य से एक या अधिक एयरलाइनों को नामित करने और ऐसे नामांकन वापस लेने का अधिकार होगा। ऐसे नामांकन लिखित रूप में किए जाएंगे और राजनयिक माध्यमों से दूसरे पक्षकार को भेजे जाएंगे तथा यह बताया जाएगा कि क्या एयरलाइन को अनुलग्नक में विनिर्दिष्ट प्रकार की हवाई सेवाएं संचालित करने का प्राधिकरण है।

2. ऐसे नामांकन की प्राप्ति और दूसरे पक्षकार के नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) से निर्धारित रूप और तरीके में आवेदन प्राप्त होने पर, दूसरे पक्षकार के वैमानिक प्राधिकरण न्यूनतम प्रक्रियात्मक विलंब के साथ उपयुक्त संचालन प्राधिकरण प्रदान करेंगे, बशर्ते कि:

   (क) उस एयरलाइन का पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण एयरलाइन को नामित करने वाले पक्षकार या उसके नागरिकों में निहित हो;

   (ख) नामित एयरलाइन अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन सेवाओं के संचालन पर लागू होने वाली, आवेदन पर विचार करने वाले पक्षकार के कानूनों और विनियमों के अंतर्गत निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए योग्य हो; और

   (ग) एयरलाइन को नामित करने वाला पक्षकार अनुच्छेद 9 (सुरक्षा) और अनुच्छेद 10 (विमानन संरक्षा) में निर्धारित मानकों को बनाए रखता और प्रशासित करता हो।

अनुच्छेद 4
प्राधिकार को रोकना, निरस्त करना और सीमित करना

1. किसी भी मामले में जहां:

   (क) उस एयरलाइन का पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण दूसरे पक्षकार या उसके नागरिकों में निहित न हो;

   (ख) उस एयरलाइन ने इस समझौते के अनुच्छेद 6 (कानूनों का अनुप्रयोग) में उल्लिखित कानूनों और विनियमों अथवा संचालन प्राधिकरण जारी करने वाले पक्षकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन सेवाओं के संचालन पर सामान्यतः लागू किए जाने वाले अन्य निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन न किया हो; या

   (ग) दूसरा पक्षकार अनुच्छेद 9 (सुरक्षा) में निर्धारित मानकों को बनाए और प्रशासित न कर रहा हो।

2. जब तक तत्काल कार्रवाई आगे के गैर-अनुपालन को रोकने के लिए आवश्यक न हो, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) के खंड (ख) और (ग) में स्थापित अधिकारों का प्रयोग दूसरे पक्षकार के साथ इस समझौते के अनुच्छेद 21 (परामर्श) के अनुसार परामर्श के बाद ही किया जाएगा।

3. यह अनुच्छेद किसी भी पक्षकार के उस अधिकार को सीमित नहीं करता कि वह दूसरे पक्षकार की एयरलाइन के संचालन प्राधिकरण को अनुच्छेद 10 (विमानन संरक्षा) के उपबंधों के अनुसार रोके, निरस्त करे, सीमित करे या उस पर शर्तें लगाए।

अनुच्छेद 5
सहमत सेवाओं के संचालन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत

1. दोनों पक्षकारों की नामित एयरलाइनों को संबंधित राज्यक्षेत्रों के बीच विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाओं का संचालन करने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर होंगे।
2. कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइनों पर ऐसी कोई आवश्यकता नहीं लगाएगा जो इस समझौते के उद्देश्यों के अनुरूप न हो।
3. प्रदान की जाने वाली क्षमता और प्रत्येक पक्षकार की नामित एयरलाइनों द्वारा संचालित की जाने वाली सेवाओं की आवृत्ति दोनों पक्षकारों के बीच सहमत की जाएगी।
4. प्रदान की जाने वाली क्षमता में कोई वृद्धि और प्रत्येक पक्षकार की नामित एयरलाइनों द्वारा संचालित की जाने वाली सेवाओं की आवृत्ति दोनों पक्षकारों के बीच समझौते के अधीन होगी। ऐसे समझौते के लंबित रहने तक, पहले से प्रभावी क्षमता और आवृत्ति के अधिकार लागू रहेंगे।
5. उपरोक्त के बावजूद, प्रत्येक पक्षकार की नामित एयरलाइनों को एक-दूसरे के राज्यक्षेत्रों के बीच किसी भी प्रकार के विमान से पूर्ण तृतीय, चतुर्थ और पंचम स्वतंत्रता यातायात अधिकारों के साथ, रूट शेड्यूल में निर्दिष्ट बिंदुओं की परवाह किए बिना, कितनी भी ऑल-कार्गो सेवाएं संचालित करने का अधिकार होगा। ऐसी ऑल-कार्गो सेवाएं तीसरे देशों की एयरलाइनों के साथ सहकारी विपणन व्यवस्थाओं के अंतर्गत भी संचालित की जा सकती हैं।

अनुच्छेद 6
कानूनों का अनुप्रयोग

1. एक पक्षकार के राज्यक्षेत्र में प्रवेश करते समय, उसके भीतर रहते समय या उससे प्रस्थान करते समय, विमान के संचालन और दिक्चालन से संबंधित उस पक्षकार के कानूनों, विनियमों और प्रक्रियाओं का दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइनों द्वारा पालन किया जाएगा।
2. एक पक्षकार के राज्यक्षेत्र में प्रवेश करते समय, उसके भीतर रहते समय या उससे प्रस्थान करते समय, यात्रियों, चालक-दल, सामान या माल के राज्यक्षेत्र में प्रवेश अथवा उससे प्रस्थान, जिसमें प्रवेश, निकासी, विमानन सुरक्षा, आव्रजन, पासपोर्ट, सीमा शुल्क, मुद्रा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और संगरोध से संबंधित विनियम तथा डाक के मामले में डाक संबंधी विनियम शामिल हैं, से संबंधित उस पक्षकार के कानूनों, विनियमों और प्रक्रियाओं का दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइनों के यात्रियों, चालक-दल, सामान या माल के संबंध में अनुपालन किया जाएगा।
3. कोई भी पक्षकार समान अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं में संलग्न दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन की तुलना में अपनी स्वयं की या किसी अन्य एयरलाइन को प्राथमिकता नहीं देगा।
4. किसी भी पक्षकार के राज्यक्षेत्र से दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र के ऊपर सीधे पारगमन करने वाले और इस प्रयोजन के लिए आरक्षित हवाई अड्डे के क्षेत्रों से बाहर न जाने वाले यात्रियों, सामान और माल पर सरल नियंत्रण

के अतिरिक्त कोई अन्य नियंत्रण नहीं लगाया जाएगा, सिवाय सुरक्षा उपायों, विमान अपहरण, मादक पदार्थ नियंत्रण आदि के संबंध में किए गए उपायों के।

अनुच्छेद 7
उपयोगकर्ता शुल्क

1. प्रत्येक पक्षकार के सक्षम प्रभार लगाने वाले प्राधिकरणों द्वारा दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) पर लगाए जा सकने वाले उपयोगकर्ता शुल्क न्यायसंगत, भेदभावरहित और उपयोगकर्ताओं के बीच समान रूप से वितरित किए जाने वाले होंगे। ऐसे उपयोगकर्ता शुल्क समान हवाई सेवाओं में संलग्न किसी अन्य एयरलाइन को उपलब्ध सबसे अनुकूल शर्तों से कम अनुकूल नहीं होंगे।

2. दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) पर लगाए गए उपयोगकर्ता शुल्क उपयुक्त हवाई अड्डा, पर्यावरण, वायु-दिक्चालन और विमानन सुरक्षा सुविधाओं तथा सेवाओं को प्रदान करने की पूर्ण लागत को प्रतिबिंबित करेंगे, परंतु उससे अधिक नहीं होंगे। ऐसी लागत में उचित मूल्यह्रास के बाद का पूंजीगत व्यय तथा सुविधाओं और सेवाओं के लिए लगाए गए शुल्कों को शामिल किया जा सकता है, बशर्ते कि ये सुविधाएं और सेवाएं कुशल और आर्थिक आधार पर प्रदान की जाएं।

3. प्रत्येक पक्षकार अपने राज्यक्षेत्र में सक्षम प्रभार लगाने वाले प्राधिकरणों और सेवाओं तथा सुविधाओं का उपयोग करने वाली नामित एयरलाइनों के बीच परामर्श को प्रोत्साहित करेगा। प्रत्येक पक्षकार सक्षम प्रभार लगाने वाले प्राधिकरणों और एयरलाइनों को शुल्कों की युक्तिसंगतता की सटीक और पारदर्शी समीक्षा के लिए आवश्यक जानकारी के आदान-प्रदान हेतु प्रोत्साहित करेगा तथा उपयोगकर्ताओं को प्रस्तावित परिवर्तनों की उचित सूचना देने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

4. किसी पक्षकार को अनुच्छेद 23 (विवादों का निपटारा) के अंतर्गत किसी विवाद में इस अनुच्छेद में निर्धारित शुल्क या प्रक्रियाओं से संबंधित किसी उपबंध के उल्लंघन में नहीं माना जाएगा, यदि उसने दूसरे पक्षकार द्वारा किसी शिकायत की समीक्षा की हो और समीक्षा के बाद इस अनुच्छेद से असंगत शुल्क या प्रथा के निवारण के लिए अपने अधिकार में सभी कदम उठाए हों।

अनुच्छेद 8
सीमा शुल्क और शुल्क

1. प्रत्येक पक्षकार पारस्परिकता के सिद्धांत के आधार पर, अपने राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत जितनी अधिकतम सीमा तक संभव हो, दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) को विमान, ईंधन, चिकनाई वाले तेल, विमान के पुर्जे जिनमें इंजन भी शामिल हैं, नियमित विमान उपकरण, विमान भंडार (खाद्य, पेय, शराब, तंबाकू और अन्य उत्पादों सहित), उपभोज्य तकनीकी आपूर्तियां, स्पेयर पार्ट्स और अन्य तकनीकी आपूर्तियां तथा एयरलाइन के कंपनी चिन्ह वाली वस्तुओं और निःशुल्क वितरित की जाने वाली प्रचार सामग्री पर सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, निरीक्षण शुल्क तथा अन्य राष्ट्रीय शुल्क और प्रभारों से छूट देगा, बशर्ते वे विमान के संचालन या सर्विसिंग के संबंध में बिक्री या उपयोग के लिए हों।

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) के अंतर्गत छूट तभी दी जाएगी जब संबंधित वस्तुएं:

   (क) एक पक्षकार के राज्यक्षेत्र में दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) द्वारा या उसकी ओर से लाई गई हों;

(ख) एक पक्षकार की नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) के विमान पर दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में आगमन या प्रस्थान के समय बनी रहें; या

(ग) दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में एक पक्षकार की नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) के विमान पर सहमत सेवाओं के संचालन में उपयोग के लिए चढ़ाई गई हों।

3. इस अनुच्छेद के अंतर्गत छूट लागू रहेगी, चाहे ऐसी वस्तुओं का उपयोग या उपभोग उस पक्षकार के राज्यक्षेत्र में किया गया हो जिसने छूट प्रदान की है, बशर्ते ऐसी वस्तुओं का स्वामित्व उस पक्षकार के राज्यक्षेत्र में स्थानांतरित न किया गया हो।

4. किसी भी पक्षकार की नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) के विमान पर सामान्यतः रखे जाने वाले नियमित विमान उपकरण तथा सहमत सेवाओं के संचालन के लिए आवश्यक सामग्री और आपूर्तियां दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में तभी उतारी जा सकेंगी जब उस पक्षकार के सीमा शुल्क प्राधिकरणों की स्वीकृति हो। ऐसी स्थिति में उन्हें पुनः निर्यात किए जाने या सीमा शुल्क विनियमों के अनुसार अन्यथा निपटाए जाने तक उक्त प्राधिकरणों की निगरानी में रखा जा सकता है।

अनुच्छेद 9
सुरक्षा

1. कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार द्वारा नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) के संबंध में विमानन सुविधाओं, उड़ान-दल, विमान और नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) के संचालन के संबंध में बनाए रखे गए सुरक्षा मानकों पर परामर्श का अनुरोध कर सकता है। ऐसा परामर्श अनुरोध के 30 दिनों के भीतर, या पक्षकारों द्वारा सहमत किसी लंबी अवधि के भीतर, किया जाएगा।

2. यदि ऐसे परामर्श के बाद एक पक्षकार यह पाता है कि पैराग्राफ (1) में उल्लिखित क्षेत्रों में ऐसे सुरक्षा मानक, जो उस समय अभिसमय के अनुसार स्थापित मानकों को पूरा करते हैं, दूसरे पक्षकार द्वारा नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) के संबंध में प्रभावी रूप से बनाए और प्रशासित नहीं किए जा रहे हैं, तो दूसरे पक्षकार को इन निष्कर्षों और इन न्यूनतम मानकों के अनुरूप होने के लिए आवश्यक समझे गए कदमों की सूचना दी जाएगी और दूसरा पक्षकार उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई करेगा।

3. प्रत्येक पक्षकार को दूसरे पक्षकार द्वारा नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) के संचालन प्राधिकरण को निलंबित या सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा, यदि दूसरा पक्षकार 30 दिनों के भीतर उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई नहीं करता।

4. यह सहमति है कि एक पक्षकार की एयरलाइन द्वारा दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र से या उसके लिए सेवाओं पर संचालित किसी विमान को, दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में रहते समय, दूसरे पक्षकार के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा विमान के अंदर और उसके आसपास निरीक्षण के अधीन किया जा सकता है, ताकि विमान के दस्तावेजों तथा उसके चालक-दल के दस्तावेजों की वैधता और विमान तथा उसके उपकरणों की प्रत्यक्ष स्थिति की जांच की जा सके (इस अनुच्छेद में “रैम्प निरीक्षण” कहा गया है), बशर्ते इससे अनुचित विलंब न हो।

5. यदि ऐसा कोई रैम्प निरीक्षण या रैम्प निरीक्षणों की श्रृंखला निम्नलिखित कारणों को जन्म देती है:

(क) यह गंभीर चिंता कि कोई विमान या विमान का संचालन उस समय अभिसमय के अनुसार स्थापित न्यूनतम मानकों का अनुपालन नहीं करता;

(ख) यह गंभीर चिंता कि उस समय अभिसमय के अनुसार स्थापित सुरक्षा मानकों के प्रभावी रखरखाव और प्रशासन में कमी है;

तो निरीक्षण करने वाला पक्षकार, अभिसमय के अनुच्छेद 33 के प्रयोजनों के लिए, यह निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतंत्र होगा कि उस विमान या उसके चालक-दल के संबंध में प्रमाणपत्र या लाइसेंस जारी या वैध किए जाने की आवश्यकताएं, अथवा जिस आधार पर विमान संचालित किया जाता है, अभिसमय के अनुसार स्थापित न्यूनतम मानकों के बराबर या उनसे अधिक नहीं हैं।

6. यदि इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (4) के अनुसार किसी पक्षकार की एयरलाइन द्वारा संचालित विमान का रैम्प निरीक्षण करने के उद्देश्य से प्रवेश उस एयरलाइन के प्रतिनिधि द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, तो दूसरा पक्षकार यह निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतंत्र होगा कि इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (5) में उल्लिखित गंभीर चिंताएं उत्पन्न होती हैं और उस पैराग्राफ में उल्लिखित निष्कर्ष निकाल सकता है।

7. प्रत्येक पक्षकार को किसी दूसरे पक्षकार की एयरलाइन या एयरलाइनों के संचालन प्राधिकरण को तत्काल निलंबित या परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा, यदि पहला पक्षकार यह निष्कर्ष निकालता है कि रैम्प निरीक्षण, रैम्प निरीक्षणों की श्रृंखला, रैम्प निरीक्षण से इनकार, परामर्श या अन्यथा के परिणामस्वरूप एयरलाइन के संचालन की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक है।

8. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (3) या (7) के अनुसार किसी पक्षकार द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई तब बंद कर दी जाएगी जब उस कार्रवाई को करने का आधार समाप्त हो जाए।

अनुच्छेद 10
विमानन संरक्षा

1. अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने अधिकारों और दायित्वों के अनुसार, दोनों पक्षकार इस बात की पुनः पुष्टि करते हैं कि नागर विमानन की सुरक्षा को गैर-कानूनी हस्तक्षेप के कृत्यों के विरुद्ध सुरक्षित रखना एक-दूसरे के प्रति उनका दायित्व इस समझौते का अभिन्न अंग है। अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत उनके अधिकारों और दायित्वों की व्यापकता को सीमित किए बिना, पक्षकार विशेष रूप से 14 सितंबर 1963 को टोक्यो में संपन्न विमान में किए गए अपराधों और कुछ अन्य कृत्यों पर अभिसमय, 16 दिसंबर 1970 को हेग में संपन्न विमान के गैर-कानूनी कब्जे के दमन के लिए अभिसमय, 23 सितंबर 1971 को मॉन्ट्रियल में संपन्न नागर विमानन की सुरक्षा के विरुद्ध गैर-कानूनी कृत्यों के दमन के लिए अभिसमय तथा 24 फरवरी 1988 को मॉन्ट्रियल में संपन्न उसके प्रोटोकॉल और किसी अन्य विमानन सुरक्षा अभिसमय, जिसके दोनों पक्षकार सदस्य बनें, के उपबंधों के अनुरूप कार्य करेंगे।

2. अनुरोध पर, दोनों पक्षकार नागर विमानों के गैर-कानूनी कब्जे और ऐसे विमानों, उनके यात्रियों और चालक-दल, हवाई अड्डों और वायु-दिक्चालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध अन्य गैर-कानूनी कृत्यों को रोकने तथा नागर वायु-दिक्चालन की सुरक्षा के लिए किसी अन्य खतरे का समाधान करने हेतु एक-दूसरे को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।

3. दोनों पक्षकार अपने पारस्परिक संबंधों में अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा स्थापित और अभिसमय के अनुलग्नकों के रूप में नामित सभी विमानन सुरक्षा मानकों तथा उपयुक्त अनुशंसित प्रथाओं के अनुरूप कार्य करेंगे; वे अपने रजिस्ट्री के विमानों के संचालकों, अपने राज्यक्षेत्र में मुख्य व्यवसाय स्थल या स्थायी निवास वाले विमान संचालकों तथा अपने राज्यक्षेत्र के हवाई अड्डा संचालकों से ऐसे विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप कार्य

करने की अपेक्षा करेंगे। प्रत्येक पक्षकार अपने राष्ट्रीय विनियमों और प्रथाओं तथा अनुलग्नकों के विमानन सुरक्षा मानकों के बीच किसी भी अंतर की सूचना दूसरे पक्षकार को देगा। कोई भी पक्षकार ऐसे अंतरों पर चर्चा करने के लिए किसी भी समय दूसरे पक्षकार से तत्काल परामर्श का अनुरोध कर सकता है।

4. प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार द्वारा उसके राज्यक्षेत्र में प्रवेश और उससे प्रस्थान के लिए अपेक्षित सुरक्षा उपबंधों का पालन करने तथा विमान की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय करने और चढ़ने या लदान से पहले तथा उसके दौरान यात्रियों, चालक-दल और उनके सामान तथा साथ ले जाए जाने वाले सामान, साथ ही माल और विमान भंडार का निरीक्षण करने पर सहमत है। प्रत्येक पक्षकार किसी विशेष खतरे का सामना करने के लिए दूसरे पक्षकार द्वारा मांगे गए विशेष सुरक्षा उपायों के अनुरोध पर सकारात्मक विचार करेगा।

5. जब विमान के गैर-कानूनी कब्जे की घटना या ऐसी घटना का खतरा, अथवा यात्रियों, चालक-दल, विमान, हवाई अड्डों या वायु-दिक्चालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध अन्य गैर-कानूनी कृत्यों की घटना या खतरा उत्पन्न हो, तो दोनों पक्षकार संचार तथा अन्य उपयुक्त उपायों को सुगम बनाकर ऐसी घटना या खतरे को शीघ्र और सुरक्षित रूप से समाप्त करने में एक-दूसरे की सहायता करेंगे।

6. जब किसी पक्षकार के पास यह मानने के उचित आधार हों कि दूसरे पक्षकार ने इस अनुच्छेद के विमानन सुरक्षा उपबंधों से विचलन किया है, तो उस पक्षकार के वैमानिक प्राधिकरण दूसरे पक्षकार के वैमानिक प्राधिकरणों से तत्काल परामर्श का अनुरोध कर सकते हैं। ऐसे अनुरोध की तारीख से 30 दिनों के भीतर संतोषजनक समझौता न हो पाना उस पक्षकार की नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) के संचालन प्राधिकरण को रोकने, निरस्त करने, सीमित करने या उस पर शर्तें लगाने का आधार होगा। आपातस्थिति में आवश्यक होने पर कोई भी पक्षकार 30 दिनों की अवधि समाप्त होने से पहले अंतरिम कार्रवाई कर सकता है।

7. पैराग्राफ (6) के अनुसार की गई कोई भी कार्रवाई तब बंद कर दी जाएगी जब दूसरा पक्षकार इस अनुच्छेद के उपबंधों का अनुपालन कर ले।

अनुच्छेद 11
गैर-राष्ट्रीय कार्मिक और स्थानीय सेवाओं तक पहुंच

प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइनों को निम्नलिखित की अनुमति देगा:

(क) हवाई सेवाओं और हवाई सेवाओं के प्रावधान के लिए आवश्यक अन्य सहायक उत्पादों और सुविधाओं के प्रचार तथा बिक्री के लिए दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में कार्यालय स्थापित करना;

(ख) गैर-राष्ट्रीय कर्मचारियों को अपने राज्यक्षेत्र में लाना और बनाए रखना, जो प्रबंधकीय, वाणिज्यिक, तकनीकी, परिचालन तथा अन्य विशेषज्ञ कार्य करते हों और हवाई परिवहन सेवाओं के प्रावधान के लिए आवश्यक हों, बशर्ते वे प्रवेश, निवास और रोजगार के संबंध में प्राप्तकर्ता पक्षकार के कानूनों और विनियमों के अनुरूप हों; और

(ग) अपने राज्यक्षेत्र में कार्यरत और ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकृत किसी अन्य संगठन, कंपनी या एयरलाइन की सेवाओं और कार्मिकों का उपयोग करना।

अनुच्छेद 12
हवाई सेवा उत्पादों की बिक्री और विपणन

1. प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार की एयरलाइनों को अपने राज्यक्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं और संबंधित उत्पादों की सीधे या एयरलाइन की पसंद के एजेंटों या अन्य मध्यस्थों के माध्यम से बिक्री और विपणन का अधिकार प्रदान करेगा।
2. प्रत्येक एयरलाइन को अपने विवेकानुसार उस राज्यक्षेत्र की मुद्रा में, स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में या अन्य देशों की मुद्राओं में परिवहन बेचने का अधिकार होगा और कोई भी व्यक्ति ऐसी एयरलाइन द्वारा स्वीकार की जाने वाली मुद्राओं में ऐसा परिवहन खरीदने के लिए स्वतंत्र होगा।

अनुच्छेद 13
आय का प्रेषण

1. प्रत्येक पक्षकार की एयरलाइन(एयरलाइनों) को मांग पर, किसी भी स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में, हवाई परिवहन तथा अन्य सहायक उत्पादों, सेवाओं और सुविधाओं की बिक्री के संबंध में ऐसी एयरलाइन(एयरलाइनों) द्वारा स्थानीय रूप से वितरित की गई राशि से अधिक स्थानीय आय तथा ऐसी आय पर अर्जित ब्याज (हस्तांतरण की प्रतीक्षा कर रही जमाराशियों पर अर्जित ब्याज सहित) को परिवर्तित और स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित करने का अधिकार होगा। रूपांतरण और प्रेषण बिना प्रतिबंध या उस पर कराधान के, उस विनिमय दर पर शीघ्र किया जाएगा जो चालू लेन-देन और प्रेषण के लिए उस तारीख को लागू हो जिस दिन एयरलाइन प्रेषण के लिए प्रारंभिक आवेदन करती है।
2. प्रत्येक पक्षकार की एयरलाइन(एयरलाइनों) को दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में स्थानीय खर्चों का भुगतान, जिसमें ईंधन की खरीद भी शामिल है, स्थानीय मुद्रा में करने की अनुमति होगी। अपने विवेकानुसार, प्रत्येक पक्षकार की एयरलाइन(एयरलाइने) ऐसे खर्चों का भुगतान स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में, दूसरे पक्षकार के राष्ट्रीय विनियमों के अनुसार, कर सकती हैं।
3. इस अनुच्छेद में निहित किसी बात के बावजूद, इस अनुच्छेद के अंतर्गत अधिकारों का प्रयोग लागू घरेलू कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुसार होगा, जिसमें मलेशिया सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचाव और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए समझौते के उपबंध शामिल हैं। यदि कोई पक्षकार दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइनों द्वारा स्थानीय रूप से वितरित राशि से अधिक स्थानीय राजस्व के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाता है, तो बाद वाले पक्षकार को पहले पक्षकार की नामित एयरलाइनों पर पारस्परिक प्रतिबंध लगाने का अधिकार होगा। इस समझौते की कोई बात किसी भी कर अभिसमय के अंतर्गत किसी भी देश के अधिकारों और दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगी। इस समझौते और किसी ऐसे अभिसमय के बीच असंगति होने की स्थिति में, असंगति की सीमा तक वह अभिसमय प्रभावी होगा।

अनुच्छेद 14
सहकारी विपणन व्यवस्थाएं

1. सहमत सेवाओं का संचालन या विनिर्दिष्ट मार्गों पर उनका संचालन घोषित करते समय, प्रत्येक पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को कोड-शेयर, ब्लॉक-स्पेस या किसी अन्य संयुक्त उद्यम व्यवस्था जैसी सहकारी विपणन व्यवस्थाओं में निम्नलिखित के साथ प्रवेश करने की अनुमति होगी:

(क) उसी पक्षकार की नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) के साथ;

(ख) दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) के साथ;

(ग) किसी तीसरे देश की नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) के साथ;

बशर्ते कि ऐसी व्यवस्थाओं में सभी एयरलाइनों के पास उपयुक्त प्राधिकरण हो और वे ऐसी व्यवस्थाओं पर सामान्यतः लागू आवश्यकताओं को पूरा करती हों।

2. सहकारी विपणन व्यवस्थाओं में शामिल संचालन एयरलाइन(एयरलाइनों) के पास अंतर्निहित यातायात, जिसमें मार्ग अधिकार और क्षमता के अधिकार शामिल हैं, होंगे और वे ऐसी व्यवस्थाओं पर सामान्यतः लागू आवश्यकताओं को पूरा करेंगी।

3. सहकारी व्यवस्थाओं में शामिल सभी विपणन एयरलाइन(एयरलाइनों) के पास अंतर्निहित मार्ग अधिकार होंगे और वे ऐसी व्यवस्थाओं पर सामान्यतः लागू आवश्यकताओं को पूरा करेंगी।

4. किसी भी पक्षकार की नामित एयरलाइने दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइनों के साथ कॉल के बिंदुओं के बीच तथा किसी कॉल के बिंदु और इस प्रयोजन के लिए अतिरिक्त रूप से सहमत किसी अन्य बिंदु/बिंदुओं के बीच, पहले पक्षकार की नामित एयरलाइनों के लिए दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र के भीतर, घरेलू कोड-शेयर के रूप में, पारगमन अंतरराष्ट्रीय यातायात के वहन के लिए सहकारी विपणन व्यवस्थाओं में भी प्रवेश कर सकती हैं, बिना कैबोटाज अधिकारों का प्रयोग किए।

5. ऐसी व्यवस्थाओं के अंतर्गत संचालित हवाई सेवाओं की कुल क्षमता केवल उस पक्षकार के क्षमता-अधिकार के विरुद्ध गिनी जाएगी जो संचालन एयरलाइन(एयरलाइनों) को नामित करता है। ऐसी सेवाओं पर विपणन एयरलाइन(एयरलाइनों) द्वारा दी गई क्षमता उस पक्षकार की क्षमता के अधिकार के विरुद्ध नहीं गिनी जाएगी जो उस एयरलाइन को नामित करता है।

6. किसी भी पक्ष की नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) को कोड-शेयर संचालन में शामिल विमानों के बीच यातायात (अर्थात् स्टॉपओवर) को विमान की संख्या, आकार और प्रकार के संबंध में बिना किसी प्रतिबंध के स्थानांतरित करने की अनुमति होगी।

7. संचालन एयरलाइन(एयरलाइनों) के अतिरिक्त, प्रत्येक पक्ष के वैमानिक प्राधिकरण विपणन एयरलाइन(एयरलाइनों) से अनुमोदन के लिए अनुसूचियां दाखिल करने तथा सहकारी विपणन व्यवस्थाओं के अंतर्गत हवाई सेवाएं शुरू होने से पहले अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग कर सकते हैं।

8. पक्षकार यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने पर सहमत हैं कि उपभोक्ताओं को उनके राज्यक्षेत्र में आने-जाने वाली कोड-शेयर उड़ानों के संबंध में पूर्ण जानकारी दी जाए और कम-से-कम यात्रियों को निम्नलिखित तरीकों से आवश्यक जानकारी प्रदान की जाए:

(क) बुकिंग के समय मौखिक रूप से और, यदि संभव हो, तो लिखित रूप में;

(ख) टिकट पर स्वयं और/या, यदि संभव न हो, तो टिकट के साथ दिए गए यात्रा दस्तावेज या टिकट के स्थान पर दिए गए किसी अन्य दस्तावेज, जैसे लिखित पुष्टि, में, जिसमें समस्या की स्थिति में संपर्क करने की जानकारी और क्षति या दुर्घटना की स्थिति में कौन-सी एयरलाइन जिम्मेदार है, इसका स्पष्ट संकेत हो; और

(ग) यात्रा के सभी चरणों में एयरलाइन के ग्राउंड स्टाफ द्वारा पुनः मौखिक रूप से।

9. कोड-शेयर सेवाएं प्रदान करने से पहले, कोड-शेयर साझेदार इस बात पर सहमत होंगे कि सुरक्षा, संरक्षा, सुविधा, दायित्व और अन्य उपभोक्ता-संबंधी मामलों के लिए कौन-सा पक्ष जिम्मेदार होगा। ऐसी सहमति को कोड-शेयर व्यवस्था लागू करने से पहले दोनों पक्षकारों के वैमानिक प्राधिकरणों के पास दाखिल किया जाएगा।

अनुच्छेद 15
अंतरमॉडल सेवाएं

प्रत्येक पक्षकार की नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) को यात्रियों और माल के हवाई परिवहन के संबंध में दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र के किसी भी बिंदु तक या वहां से किसी भी अंतरमॉडल परिवहन का उपयोग करने की अनुमति होगी। ऐसी एयरलाइन(एयरलाइने) अपना अंतरमॉडल परिवहन स्वयं करने या कोड-शेयर सहित अन्य वाहकों के साथ व्यवस्था के माध्यम से उपलब्ध कराने का विकल्प चुन सकती हैं। अंतरमॉडल सेवाएं एकल मूल्य पर हवाई और अंतरमॉडल परिवहन को संयुक्त करते हुए एक समग्र सेवा के रूप में प्रदान की जा सकती हैं, बशर्ते यात्रियों और शिपर्स को ऐसे परिवहन के प्रदाताओं के बारे में सूचित किया जाए।

अनुच्छेद 16
अनुसूचियों का अनुमोदन

1. प्रत्येक पक्षकार के वैमानिक प्राधिकरण दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) से सहमत सेवाओं के आरंभ से कम-से-कम 30 दिन पहले अपने विचार और अनुमोदन के लिए ऐसी उड़ान अनुसूचियां दाखिल करने की मांग कर सकते हैं जिनमें सेवा के प्रकार और उसकी आवृत्ति, उपयोग किए जाने वाले विमान का प्रकार और प्रत्येक बिंदु पर उड़ान का समय संबंधी जानकारी हो। प्रत्येक आयटा यातायात मौसम के लिए कम-से-कम 30 दिन पहले तथा सहमत सेवाओं के संचालन में कोई परिवर्तन किए जाने पर भी समान जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

2. प्रत्येक पक्षकार की नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) को अन्य ऐसी जानकारी भी उपलब्ध करानी होगी जो दूसरे पक्षकार के वैमानिक प्राधिकरणों को यह संतुष्ट करने के लिए आवश्यक हो कि इस समझौते की आवश्यकताओं का विधिवत पालन किया जा रहा है।

अनुच्छेद 17
सांख्यिकी का प्रावधान

1. प्रत्येक पक्षकार के वैमानिक प्राधिकरण दूसरे पक्षकार के वैमानिक प्राधिकरणों को प्रत्येक माह सहमत सेवाओं पर दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र से आने-जाने वाले यातायात से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराएंगे या अपनी नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) से उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे, जिसमें ऐसे यातायात के चढ़ने और उतरने के

बिंदु दर्शाए जाएंगे। ऐसे आंकड़े प्रत्येक माह की समाप्ति के बाद यथाशीघ्र, परंतु संबंधित माह के बाद 30 दिनों से अधिक देर नहीं, उपलब्ध कराए जाएंगे।

2. प्रत्येक पक्षकार के वैमानिक प्राधिकरण, अनुरोध पर, दूसरे पक्षकार के वैमानिक प्राधिकरणों को दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र से आने-जाने वाले यातायात के वास्तविक उद्गम और गंतव्य से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराएंगे या अपनी नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) से उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे।

अनुच्छेद 18
टैरिफ

1. प्रत्येक पक्षकार की नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) द्वारा संचालित सहमत सेवाओं के संबंध में टैरिफ प्रत्येक नामित एयरलाइन द्वारा बाजार में अपने वाणिज्यिक विचारों के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें संचालन की लागत, सेवा का प्रकार और उचित लाभ सहित सभी कारकों का उचित ध्यान रखा जाएगा।

2. पैराग्राफ (1) के अंतर्गत निर्धारित टैरिफ को एक पक्षकार की नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) द्वारा दूसरे पक्षकार के वैमानिक प्राधिकरणों के पास दाखिल करना आवश्यक नहीं होगा।

3. उपरोक्त के बावजूद, प्रत्येक पक्षकार को निम्नलिखित के लिए हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा:

   (क) ऐसे टैरिफों को रोकना जिनका अनुप्रयोग प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार का गठन करता है और जिनका प्रभाव किसी प्रतिस्पर्धी को कमजोर करने या किसी मार्ग से बाहर करने का है, होने की संभावना है या ऐसा करने का उद्देश्य है;

   (ख) उपभोक्ताओं को ऐसे टैरिफों से बचाना जो अत्यधिक या किसी प्रभुत्वशाली स्थिति के दुरुपयोग के कारण प्रतिबंधात्मक हों; और

   (ग) एयरलाइनों को ऐसे टैरिफों से बचाना जो शिकारी मूल्य निर्धारण वाले या कृत्रिम रूप से कम हों।

4. पैराग्राफ (3) में निर्धारित प्रयोजनों के लिए, एक पक्षकार के वैमानिक प्राधिकरण दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइनों से टैरिफ के निर्धारण से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने की मांग कर सकते हैं।

5. यदि एक पक्षकार यह मानता है कि दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) द्वारा लिया गया टैरिफ इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (3) में निर्धारित विचारों के अनुरूप नहीं है, तो वह यथाशीघ्र दूसरे पक्षकार को अपने असंतोष के कारणों की सूचना देगा और परामर्श का अनुरोध करेगा, जो अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर आयोजित किया जाएगा। यदि पक्षकार उस टैरिफ के संबंध में समझौते पर पहुंचते हैं जिसके बारे में असंतोष की सूचना दी गई है, तो प्रत्येक पक्षकार उस समझौते को प्रभावी करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास करेगा। ऐसे समझौते के अभाव में, पहले से विद्यमान टैरिफ प्रभावी रहेगा।

अनुच्छेद 19
प्रमाणपत्रों की मान्यता

1. एक पक्षकार द्वारा जारी या वैध किए गए वायु-योग्यता प्रमाणपत्र, दक्षता प्रमाणपत्र और लाइसेंस दूसरे पक्षकार द्वारा वैध माने जाएंगे, बशर्ते कि जिन आवश्यकताओं के अंतर्गत ऐसे प्रमाणपत्र या लाइसेंस जारी या वैध किए गए हैं, वे अभिसमय के अनुसार स्थापित किए जा सकने वाले न्यूनतम मानकों के बराबर या उनसे अधिक हों।

2. यदि ऊपर पैराग्राफ (1) में उल्लिखित लाइसेंस या प्रमाणपत्रों के विशेषाधिकार या शर्तें, जो एक पक्षकार के वैमानिक प्राधिकरणों द्वारा किसी व्यक्ति या नामित एयरलाइन को, अथवा सहमत सेवाओं के संचालन में प्रयुक्त

किसी विमान के संबंध में जारी की गई हों, अभिसमय के अंतर्गत स्थापित न्यूनतम मानकों से अंतर की अनुमति देती हों और वह अंतर अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के पास दर्ज किया गया हो, तो दूसरा पक्षकार संबंधित प्रथा को स्पष्ट करने के उद्देश्य से वैमानिक प्राधिकरणों के बीच परामर्श का अनुरोध कर सकता है।

3. प्रत्येक पक्षकार अपने राज्यक्षेत्र के ऊपर उड़ान या अपने राज्यक्षेत्र में उतरने के प्रयोजन से दूसरे पक्षकार द्वारा अपने नागरिकों को दिए गए दक्षता प्रमाणपत्रों और लाइसेंसों को मान्यता देने से इनकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

अनुच्छेद 20
बहुपक्षीय समझौते

1. इस समझौते को लागू करते समय, पक्षकार अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप कार्य करेंगे, जहां तक वे उपबंध अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं पर लागू हों।
2. यदि इस समझौते के लागू होने के बाद दोनों पक्षकार ऐसे बहुपक्षीय समझौते के पक्षकार बन जाते हैं जो इस समझौते में शामिल विषयों को संबोधित करता है, तो कोई भी पक्षकार यह निर्धारित करने के लिए परामर्श का अनुरोध कर सकता है कि बहुपक्षीय समझौते को ध्यान में रखते हुए इस समझौते को संशोधित किया जाना चाहिए या नहीं।

अनुच्छेद 21
परामर्श

1. कोई भी पक्षकार किसी भी समय इस समझौते की व्याख्या, अनुप्रयोग, कार्यान्वयन या संशोधन अथवा इस समझौते के अनुपालन के संबंध में लिखित रूप में परामर्श का अनुरोध कर सकता है।
2. जब तक पक्षकार अन्यथा सहमत न हों, ऐसे परामर्श दूसरे पक्षकार द्वारा अनुरोध प्राप्त किए जाने की तारीख से 60 दिनों के भीतर शुरू होंगे।

अनुच्छेद 22
संशोधन

1. कोई भी पक्षकार इस समझौते के पूरे या किसी भाग के पुनरीक्षण, संशोधन या परिवर्तन का लिखित रूप में अनुरोध कर सकता है।
2. पक्षकारों द्वारा सहमत कोई भी पुनरीक्षण, संशोधन या परिवर्तन लिखित रूप में किया जाएगा और समझौते का भाग बनेगा।
3. ऐसा पुनरीक्षण, संशोधन या परिवर्तन अनुच्छेद 26 (लागू होना) के अनुसार लागू होगा और पक्षकारों द्वारा निर्धारित तारीख से अस्थायी आधार पर लागू किया जा सकता है।
4. कोई भी पुनरीक्षण, संशोधन या परिवर्तन ऐसे पुनरीक्षण, संशोधन या परिवर्तन की तारीख से पहले या उस तारीख तक इस समझौते से उत्पन्न या उस पर आधारित अधिकारों और दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

अनुच्छेद 23
विवादों का निपटारा

1. इस समझौते के अंतर्गत उत्पन्न कोई भी विवाद, जो औपचारिक परामर्श द्वारा हल नहीं हुआ है, पक्षकारों के समझौते से किसी व्यक्ति या निकाय को निर्णय के लिए भेजा जा सकता है। यदि पक्षकार सहमत न हों, तो किसी भी पक्षकार के अनुरोध पर विवाद को नीचे निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

2. मध्यस्थता तीन मध्यस्थों के न्यायाधिकरण द्वारा निम्नानुसार गठित की जाएगी:

   (क) मध्यस्थता के अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर प्रत्येक पक्षकार एक मध्यस्थ नामित करेगा। इन दोनों मध्यस्थों के नामित होने के 60 दिनों के भीतर वे आपसी सहमति से एक तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे, जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा;

   (ख) यदि कोई पक्षकार मध्यस्थ नामित करने में विफल रहता है, या यदि इस पैराग्राफ के खंड (क) के अनुसार तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति नहीं की जाती है, तो कोई भी पक्षकार अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की परिषद के अध्यक्ष से 30 दिनों के भीतर आवश्यक मध्यस्थ या मध्यस्थों की नियुक्ति करने का अनुरोध कर सकता है। यदि परिषद का अध्यक्ष किसी एक पक्षकार की राष्ट्रीयता रखता है, तो वरिष्ठतम उपाध्यक्ष, जो उस आधार पर अयोग्य न हो, नियुक्ति करेगा। यदि इस पैराग्राफ के अंतर्गत परिषद का अध्यक्ष या वरिष्ठतम योग्य उपाध्यक्ष तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करता है, तो वह तीसरा मध्यस्थ किसी भी पक्षकार का नागर नहीं होगा।

3. जब तक अन्यथा सहमति न हो, मध्यस्थ न्यायाधिकरण इस समझौते के अनुसार अपने अधिकार-क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित करेगा और अपनी प्रक्रिया के नियम स्थापित करेगा। न्यायाधिकरण, एक बार गठित होने पर, अपने अंतिम निर्णय तक अंतरिम राहत उपायों की सिफारिश कर सकता है। न्यायाधिकरण के निर्देश पर या किसी पक्षकार के अनुरोध पर, मध्यस्थता किए जाने वाले सटीक मुद्दों और अपनाई जाने वाली विशिष्ट प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए सम्मेलन न्यायाधिकरण के पूर्ण रूप से गठित होने के 15 दिनों के भीतर आयोजित किया जाएगा।

4. जब तक अन्यथा सहमति न हो या न्यायाधिकरण द्वारा निर्देश न दिया जाए, प्रत्येक पक्षकार न्यायाधिकरण के पूर्ण रूप से गठित होने के 45 दिनों के भीतर एक ज्ञापन प्रस्तुत करेगा। उसके 60 दिनों बाद उत्तर प्रस्तुत किए जाएंगे। न्यायाधिकरण, किसी पक्षकार के अनुरोध पर या अपनी पहल पर, उत्तर प्रस्तुत करने की समय-सीमा समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर सुनवाई करेगा।

5. न्यायाधिकरण सुनवाई पूरी होने के 30 दिनों के भीतर, या यदि सुनवाई नहीं होती है तो दोनों उत्तर प्रस्तुत किए जाने की तारीख के बाद, लिखित निर्णय देने का प्रयास करेगा। न्यायाधिकरण के बहुमत का निर्णय प्रभावी होगा।

6. कोई भी पक्षकार निर्णय दिए जाने के 15 दिनों के भीतर उसके स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध कर सकता है और ऐसा स्पष्टीकरण अनुरोध के 15 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा।

7. प्रत्येक पक्षकार, अपने राष्ट्रीय कानून के अनुरूप सीमा तक, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के किसी निर्णय या पंचाट को पूर्ण प्रभाव देगा।

8. मध्यस्थ न्यायाधिकरण के खर्चे, जिनमें मध्यस्थों की फीस और खर्च शामिल हैं, पक्षकारों द्वारा समान रूप से वहन किए जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की परिषद के अध्यक्ष द्वारा इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) के खंड (ख) में निर्धारित किसी कार्रवाई के संबंध में किए गए किसी भी खर्च को मध्यस्थ न्यायाधिकरण के खर्चों का भाग माना जाएगा।

अनुच्छेद 24
समाप्ति

इस समझौते में निहित किसी बात के बावजूद, कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार को इस समझौते को समाप्त करने के अपने आशय की सूचना कम-से-कम बारह (12) महीने पूर्व राजनयिक माध्यमों से लिखित नोटिस द्वारा देकर इस समझौते को समाप्त कर सकता है। ऐसी समाप्ति सूचना अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को भी साथ-साथ संप्रेषित की जाएगी। यदि पक्षकारों के समझौते से बारह (12) महीने की अवधि समाप्त होने से पहले सूचना वापस नहीं ली जाती है, तो दूसरे पक्षकार द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की तारीख से बारह (12) महीने की अवधि की समाप्ति पर समझौता समाप्त हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की तारीख को दूसरे पक्षकार द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने के चौदह (14) दिन बाद माना जाएगा।

अनुच्छेद 25
पंजीकरण

यह समझौता और इसके सभी संशोधन, हस्ताक्षर के बाद, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के साथ पंजीकृत किए जाएंगे।

अनुच्छेद 26
लागू होना

यह समझौता पक्षकारों के बीच राजनयिक नोटों के आदान-प्रदान में उस बाद की तारीख वाले नोट की तारीख को लागू होगा जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि प्रत्येक पक्षकार ने इस समझौते और इसके अनुलग्नक के लागू होने के लिए आवश्यक आंतरिक प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं।

जिसके साक्ष्यस्वरूप, अधोहस्ताक्षरी, अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत अधिकृत होकर, इस समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं।

भारत में दिल्ली में अप्रैल 2017 के इस दिन, दो प्रतियों में, अंग्रेजी भाषा में, जो प्रामाणिक पाठ होगी, किया गया। समझौते का हिंदी भाषा में अनुवाद तैयार किया जाएगा और उसे राजनयिक नोटों के आदान-प्रदान के माध्यम से समान रूप से प्रामाणिक माना जाएगा, जिसमें अंग्रेजी भाषा के पाठ के अनुरूप होने की पुष्टि की जाएगी। व्याख्या में किसी भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी होगा।

कृते मलेशिया सरकार	**कृते भारत सरकार**
हस्ताक्षर	**हस्ताक्षर**
परिवहन मंत्री, मलेशिया सरकार	**नागर विमानन राज्य मंत्रीए भारत सरकार**

अनुलग्नक

धारा I

मलेशिया की नामित एयरलाइनों द्वारा संचालित किए जाने वाले मार्ग

उद्गम बिंदु	मध्यवर्ती बिंदु	भारत में बिंदु	आगे के बिंदु
मलेशिया	मुम्बई	चेन्नई; बेंगलुरु; खजुराहो; औरंगाबाद; गोवा; जयपुर; पोर्ट ब्लेयर; कोच्चि; अहमदाबाद	तेहरान, बेरूत, काहिरा, रंगून, एथेंस, ज्यूरिख, रोम, लंदन

धारा II

भारत की नामित एयरलाइनों द्वारा संचालित किए जाने वाले मार्ग

उद्गम बिंदु	मध्यवर्ती बिंदु	मलेशिया में बिंदु	आगे के बिंदु
गुवाहाटी, गया, कोलकाता, कोच्चि, मुंबई, अहमदाबाद तथा अन्य बिंदु	कोई भी बिंदु	कुआलालंपुर, पेनांग, लैंगकावी, जोहोर बहारू, कोटा किनाबालू, कुचिंग	—

धारा III

1. धारा I और धारा II में उल्लिखित बिंदुओं को आवश्यक रूप से उसी क्रम में सेवा देना आवश्यक नहीं है।
2. विनिर्दिष्ट मार्गों पर मध्यवर्ती और आगे के बिंदुओं को नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) के विकल्प पर किसी या सभी उड़ानों में छोड़ा जा सकता है।
3. मध्यवर्ती या आगे के बिंदुओं को छोड़ा जा सकता है, बशर्ते ऐसे बिंदुओं और दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र के किसी भी बिंदु के बीच यातायात प्रदान किया जाए।
4. किसी राज्यक्षेत्र में दो या अधिक बिंदुओं की सेवा नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) द्वारा एक ही उड़ान पर की जा सकती है।

मलेशिया की नामित एयरलाइनों की धारा II में उल्लिखित सभी सेवाएं पंचम स्वतंत्रता यातायात अधिकारों के बिना संचालित की जाएंगी।

*****